कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 548 / 15–1 , दिनांक, हरदोई, 31-07- 2019।

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, हरदोई के अन्तर्गत हरदोई जनपद की नगर पालिका क्षेत्रो में कुल 1844 ब्रिकगार्ड में रोपण कार्य प्रस्तावित है। 1844 ब्रिकगार्ड निर्माण हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से डबल बिड प्रकिया के अन्तर्गत तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड ऑन लाइन आंमत्रित की जाती है। ई–निविदा दस्तावेज ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल **https://etender.up.nic.in** पर दिनांक 02.08.2019 से 16.08.2019 तक अपरान्ह 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगें, डाउनलोड कर निविदा फार्म भरकर दिनांक–17.08.2019 समय 05:00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। केवल ऑन लाइन बिड स्वीकार की जायेंगी। परिशिष्ट/शुद्धिपत्र यदि कोई होगा तो ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल/वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा। ब्रिकगार्ड निर्माण के मानकों की जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कम सं0	कार्य का विवरण	प्रति ब्रिकगार्ड सामग्री की मात्रा	मात्रा	ब्रिकगार्ड निर्माण स्थल
1	2	3	4	5
1	ब्रिकगार्ड निर्माण कार्य (बाहरी व्यास 1.20मीटर, जमीन सतह से ऊँचाई 1.50 मीटर)	अ–100 क्लास ईट 0.496 घन मी0 (240 से 247 ईट) ब–सीमेन्ट 0.92 बैग स–बालू 0.16 घन मी0 द–चूना 0.15घन मी0 य–कलर वाश 0.50 कि0ग्रा0	1844 अदद ब्रिकगार्ड निर्माण (बनवाई/पुताई/मोनोग्राम बनवायी/स्लोगन लिखवाई आदि सहित)	हरदोई जनपद नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत

प्रभाग द्वारा प्राप्त ई–निविदा आवेदन पत्रों को दिनांक 20.08.2019 को तकनीकी बिड समय पूर्वान्ह 11:00 बजे व वित्तीय बिड दिनांक 21.08.2019 समय पूर्वान्ह 11:00 बजे खोली/अपलोड की जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि तकनीकी/वित्तीय बिड खुलते समय उपस्थित रह सकते है। **निविदा की शर्त/अनुबन्ध संलग्न है।**

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

APCCF (I.T.)
2 AUG 2019

पत्रांक 548 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की कृपा करे।
3– मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, हरदोई।
6– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, लखनऊ मण्डल उ0प्र0 लखनऊ।
7– उप प्रभागीय वनाधिकारी, हरदोई व सण्डीला।
8– समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, हरदोई वन प्रभाग, हरदोई।
9– जिला सूचना अधिकारी, हरदोई।
10– प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, हरदोई को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को हरदोई एन0आई0सी0 वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
11– आशु लिपिक/लेखा लिपिक/भण्डार लिपिक।
12– नोटिस बोर्ड।

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

Scanned by CamScanner

ब्रिकगार्ड निर्माण कार्य हेतु निविदा की शर्ते/अनुबन्ध–

1– वेबसाइट .से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र की धनराशि का रिफेन्डिबिल डिमाण्ड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से रूपया 1000.00 देय हो संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी।

2– निविदा के साथ रूपया 50,000.00 (रूपया पचास हजार मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में, जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई के नाम बंधक हो, को मूल रूप से निविदा खुलने की तिथि से पहले दिनांक–17.08.2019समय अपरान्ह 04:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करना होगा तथा बैंक ड्रफ्ट/एफ0डी0आर0 की प्रति ई–पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। बन्धक रहित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

3– निविदा स्वीकृत/अनुमोदन के उपरान्त निविदादाता को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर ब्रिकगार्ड निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने का अनुबन्ध करना होगा तथा कुल धनराशि की 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से जमानत के रूप में जमा करनी होगी जिसमें अर्नेस्ट मनी को समायोजित कर लिया जायेगा।

4– निविदा स्वीकृत होने के बाद कार्यादेश की प्राप्ति दिनांक से कार्य प्रारम्भ कर एक माह के भीतर कार्य पूर्ण करने का निविदादाता द्वारा इकरारनामा देना होगा।

5– सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड/संलग्न करनी होगी।

6– उ0प्र0 वाणिज्य कर द्वारा फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर का प्रमाण पत्र अपलोड/संलग्न करना होगा।

7– आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की प्रति अपलोड/संलग्न करनी होगी।

8– निविदादाता को हैसियत प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न/अपलोड करना होगा।

9– सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

10– निविदा में दरों को अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाय। कटिंग तथा ओवर राइटिंग युक्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

11– किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद हरदोई होगा।

12– निर्माण किये गये ब्रिकगार्ड में प्रयोग की गयी सामग्री को अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी व्दारा मनोनीत अधिकारी द्वारा मानक के अनुसार पाए जाने पर ही नियमानुसार समस्त कर (जी0एस0टी0, आयकर आदि) की कटौती कर किया जायेगा। यदि ब्रिकगार्ड में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता/मानक में कमी पायी जाती है तो निविदा रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

13– ब्रिकगार्ड निर्माण कार्य क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा चिन्हित स्थल पर करना होगा।

14– यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में नियत समय पर ही खोली जायेगी।

15– विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

16– निर्माणाधीन ब्रिकगार्ड की मात्रा घट–बढ़ सकती है, कार्य की महत्ता को देखते हुए कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण करने का दायित्व निविदादाता का होगा।

17– निविदाता/आपूर्ति कर्ता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वह कार्य स्थल पर किसी प्रकार की राजस्व क्षति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

18– **प्रभागीय निदेशक, हरदोई को निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।**

(राकेश चन्द्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
हरदोई।

Scanned by CamScanner